मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन,भोपाल–462004

//आदेश//

भोपाल, दि0 /9/2018

क्रमांक– /333/2015/20-3:: राज्य शासन एतद् द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन दि0 1.4.2000 के पूर्व से अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में मान्य शिक्षक/कर्मचारियों को 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के लिए पुनरीक्षित सहायक अनुदान नियम–1979 के नियम–28 एवं 29 के प्रावधान अनुसार द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृति के फलस्वरूप शाला की विगत वर्ष की बचत राशि घटाने के उपरांत पुनरीक्षित सहायक अनुदान नियम–1979 के नियम–28 एवं 29 के अनुसार शेष राशि का भुगतान विभाग द्वारा अनुदान मद से अनुरक्षण अनुदान के रूप में किया जायेगा।

2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग की टीप क्रमांक–यू0ओ0–1116/1419/18/ वित्त/नियम/चार, दि0 8.6.2018 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(प्रमोद सिंह)
उप सचिव
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0क्रमांक–1338 /333/2015/20-3 भोपाल, दि0 17/9/2018

प्रतिलिपिः–

(1) अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
(2) महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।
(3) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म0प्र0 भोपाल।
(4) समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग/विधि प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश।
(5) समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
(6) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
(7) फोल्डर प्रति,

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

17/9/18
उप सचिव
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग